भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3354

जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025/17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

यूरिया में आत्मनिर्भरता

3354. श्री गणेश सिंह:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई यूरिया नीति के अंतर्गत देश में यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हेतु क्या प्रमुख कदम उठाए गए हैं;
(ख) नीम लेपित यूरिया (एनसीयू) नीति के कार्यान्वयन के पश्चात् औद्योगिक एवं राजसहायता दुरुप्रयोग में कमी का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या मध्य प्रदेश राज्य, विशेषकर सतना एवं आसपास के कृषि क्षेत्र में उर्वरकों की आपूर्ति समय पर एवं पर्याप्त रूप से की जा रही है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं क्योंकि ये नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान रही 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 283.74 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7

एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जेवीसी नामत: तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप असम के मौजूदा परिसर के भीतर 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को आरएसी से अधिक बढ़ाकर अधिकतम करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटीपीए अतिरिक्त हुआ है।

उपर्युक्त सभी उपायों से यूरिया उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान रहे 225 एलएमटी प्रतिवर्ष के स्तर से बढ़कर वर्ष 2024-25 के दौरान 306.67 एलएमटी हो गया है।

(ख): मई 2015 में, सरकार ने सभी घरेलू यूरिया उत्पादकों और आयातकों के लिए 100% नीम लेपित यूरिया की आपूर्ति करना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद, अध्ययनों से पता चला है कि धीमी गति से अवशोषित होने के कारण, सामान्य यूरिया की तुलना में एनसीयू की खपत कम हो जाती है।

(ग): वर्ष 2025 के चल रहे खरीफ मौसम के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में उर्वरकों जैसे कि यूरिया, डीएपी, एनपीकेएस और एमओपी की उपलब्धता पर्याप्त बनी रही, जो निम्नानुसार है:

खरीफ 2025 के लिए मध्य प्रदेश में उर्वरकों की स्थिति (दिनांक 04/08/2025 तक)

आंकड़े एलएमटी में

क्र.सं.	**उत्पाद**	**खरीफ 2025 के लिए मौसम के आनुसार आवश्यकता**	**दिनांक 01/04/2025 से दिनांक 04/08/2025 तक अनुपातिक आवश्यकता**	**दिनांक 01/04/2025 से दिनांक 04/08/2025 तक उपलब्धता**	**दिनांक 01/04/2025 से दिनांक 04/08/2025 तक संचयी डीबीटी बिक्री**	**दिनांक 04/08/2025 की स्थिति के अनुसार अंतिम स्टॉक**
1	यूरिया	17.42	10.47	14.26	12.54	1.74
2	डीएपी	7.50	5.24	4.24	3.32	0.91
3	एमओपी	0.50	0.39	0.64	0.39	0.25
4	एनपीकेएस	5.00	3.54	6.23	4.27	1.96

हालाँकि, राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

****